INDIAN BUSINESS PARTY
इंडियन बिजनेस पार्टी
www.indianbusinessparty.org

दिनांक: 20/08/2016

प्रमुख
राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति
बी-603, दिल्ली सचिवालय
इंद्रा प्रस्थ, नई दिल्ली-110002

श्रीमान जी

विषय : प्रस्तावित GST के सम्बन्ध में कारोबारियों की कुछ चिंताओं को अवगत कराते हुए कुछ सुझाव

1. GST के माध्यम से तीन प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं | बेहतर होगा कि SGST, CGST और IGST के स्थान पर सिर्फ एक ही टैक्स, GST लगाया जाए | जैसा की दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रचलित है | राज्य एवं केंद्र टैक्स का बटवारा किसी और सिस्टम के, Back End पर कर ले | इस से कारोबारियों को बहुत सरलता होगी तथा टैक्स कानूनों का पालन करना सुगम और सरल होगा | अभी प्रत्येक कारोबारी को तीन विवरणी दाखिल करनी होगी और एक सिंगल टैक्स होने पर सिर्फ एक ही विवरणी दाखिल करनी होगी और कर निर्धारण भी एक ही होगा |

2. वर्तमान सिस्टम में ट्रेडर्स समुदाय पर सिर्फ VAT लगता था और सिर्फ वैट विभाग के ही अधिकारी ट्रेडर्स के कार्य स्थल पर दौरा करते थे | चूँकि SGST राज्य सरकार द्वारा वैट विभाग के माध्यम से संचालित होगा और CGST केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज और सर्विस टैक्स विभाग के द्वारा संचालित होगा, ऐसी परिस्थिति में दोनों ही विभाग के अधिकारी ट्रेडर्स के कार्य स्थल पर दौरा करेंगे और ट्रेडर्स अपने बहुमूल्य समय को सिर्फ अधिकारियों कि आवभगत में ही लगाते रहेंगे | अतः ट्रेडर्स कम्युनिटी पर सिर्फ राज्य सरकार के अधिकारी ही दौरा कर सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए |

3. खरीददार कारोबारी को टैक्स का क्रेडिट तब मिलेगा जब विक्रेता कारोबारी ने अपना मासिक GST विवरण दाखिल कर दी हो | ऐसा कभी भी हो सकता है कि उक्त विक्रेता कारोबारी अपना मासिक GST विवरण दाखिल ही न करे | ऐसे स्थिति में क्रेता कारोबारी को अपने भुगतान किये गए टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा | और इस प्रकार क्रेता कारोबारी को सरकारी प्रावधानों की वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा | अतः क्रेता कारोबारी को इनवॉइस के आधार पर टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि टैक्स वसूल करते समय विक्रेता कारोबारी सरकार के एक एजेंट की भूमिका में काम करता है और सरकार अपने एजेंट के किसी भी कार्य के प्रति पूरी जिम्मेदार है |

4. GST की परिकल्पना का आधार एक मजबूत और विश्वसनीय आईटी सिस्टम है | GST लागू करने से पहले सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए की आईटी सिस्टम किसी भी प्रकार से कारोबारियों का समय न व्यर्थ करे और विवरण दाखिल करना सरल और सुगम हो | आयकर विभाग के Portal में अक्सर आयकर विवरणी दाखिल करने में काफी परेशानी आती है, और कारोबारियों को बेवजह दंड भुगतना पड़ता है |

Pragati Tower, 26 Rajendra Place, New Delhi-110008, INDIA.
+91-11-25784221 +91-7042828540 info@indianbusinessparty.org, indianbusinessparty@gmail.com
www.facebook.com/indianbusinessparty twitter.com/InBusinessParty www.linkedin.com/in/indianbusinessparty

5. GST प्रावधान में SME का ध्यान नहीं रखा गया है | सरकार एक तरफ तो SME को बढ़ावा देना चाहती है और दूसरी तरफ SME को जटिल टैक्स प्रक्रियाओ में उलझाना चाहती है | अतः GST की न्यूनतम सीमा 10 लाख से बढ़ा कर कम से कम 50 लाख करनी चाहिए |

6. GST एक स्वयं कर निर्धारण कर संरचना है | आगे वाले कारोबारी को पीछे वाले कारोबारी का कर निर्धारण करते हुए अपना टैक्स भरना है | GST एक आटोमेटिक चलने वाला सिस्टम है | ऐसी दशा में सरकार को अपनी मशीनरी को उन् कारोबारियो के पीछे लगाना चाहिए ज़ो कर की चोरी में संलग्न हो न की उन कारोबारियो के पीछे ज़ो ईमानदारी से टैक्स भुगतान कर रहे हो और देश की अर्थव्यवस्था में भरपूर योगदान दे रहे हो |

7. यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई कारोबारी टैक्स चोरी में पकड़ा गया तो उसके साथ साथ उस क्षेत्र के कर अधिकारियो के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए | कर चोरी विभाग की अधिकारियो कि मिली भगत के बिना हो ही नहीं सकती | कर चोरी में कारोबारी और अधिकारी सामान रूप से दोषी माने जाने चाहिए |

8. आपसे अनुरोध है की नए युग के नए टैक्स में सरकार की प्राथमिकता कारोबारियों की सरलता और सुगमता होनी चाहिए | अगर टैक्स भरना आसान होगा तो सरकार के पास टैक्स का कलेक्शन भी भरपूर आएगा | यदि सरकार कारोबारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति नहीं दिला पाई तो GST के लाने का कोई औचित्य ही नहीं होगा | सरकार को यह भी चाहिए की GST लागू करने से जो परेशानियां आए उसका दंड कारोबारियों को न मिले |

आपसे अनुरोध है की इंडियन बिजनस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को भी अपने विचार रखने हेतु मीटिंग में बुलाया जाए |

धन्यवाद

वी. के. बंसल
राष्ट्रीय संयोजक